राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(4)नपा/रानिआ/2013/5000 दिनांक– 21/5/13

सामान्य प्रशासन (ग्रु-5) विभाग
राजस्थान, जयपुर
संख्या 131586
दिनांक 27-5-13

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:– नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव जून, 2013 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत।

महोदय,

आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 07 जून, 2013 को होगा। सूची एवं कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान चुनाव समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता (प्रति संलग्न) के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करायी जाये जिसके साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों, जहाँ चुनाव होने है, में भी माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे।
2. माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएं।
3. माननीय मंत्री गण व अन्य जनप्रतिनिधि जब भ्रमण में रहेंगें तब वहां स्थित सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव संबंधी किसी गतिविधि या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
4. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
5. माननीय मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से भिन्न क्षेत्रों में अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़े, अर्थात वे अपने मुख्यालय से किसी चुनाव से भिन्न क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर जाये तो चुनाव वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कार्य या किसी राजनैतिक गतिविधि के लिए भ्रमण नहीं करेंगे और ना ही उन चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में वे चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में शामिल होंगे। चुनाव से जुड़े अधिकारी इन दौरों के दौरान माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि के प्रोटोकोल अथवा स्वागत के लिए नहीं जाऐंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(4)नपा/रानिआ/2013/5001 दिनांक:– 21/5/13

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांक:प.1(14)साप्र/5/2009 जयपुर, दिनांक: 28/5/2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्धक,समस्त विश्राम भवन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5000 दिनांक 21.5.13 के क्रम में ।
3. रक्षित पत्रावली ।

(मुन्नालाल शर्मा) 28/5/13
सहायक शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(4)नपा / रानिआ / 2013 / 5000 दिनांक– 21/5/13

सामान्य प्रशासन (ग्रु–5) विभाग
राजस्थान, जयपुर
संख्या 131586
दिनांक 27-5-13

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव जून, 2013 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत।

महोदय,

आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 07 जून, 2013 को होगा। सूची एवं कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान चुनाव समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता (प्रति संलग्न) के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करायी जाये जिसके साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों, जहाँ चुनाव होने है, में भी माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे।
2. माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएं।
3. माननीय मंत्री गण व अन्य जनप्रतिनिधि जब भ्रमण में रहेंगें तब वहां स्थित सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव संबंधी किसी गतिविधि या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
4. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं करेगे।
5. माननीय मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से भिन्न क्षेत्रों में अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़े, अर्थात वे अपने मुख्यालय से किसी चुनाव से भिन्न क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर जाये तो चुनाव वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कार्य या किसी राजनैतिक गतिविधि के लिए भ्रमण नहीं करेंगे और ना ही उन चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में वे चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में शामिल होंगे। चुनाव से जुड़े अधिकारी इन दौरों के दौरान माननीय मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि के प्रोटोकोल अथवा स्वागत के लिए नहीं जाऐंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(4)नपा / रानिआ / 2013 / 5001 दिनांकः– 21/5/13

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

D:\Sanjay\GOPI'S DATA\NP\4(2)(4) NP SEC 13_bye-election June. 13.doc
31

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

माह जून, 2013 में नगरपालिका उप चुनाव करवाये जाने वाले रिक्त स्थानों की सूची

क.सं.	जिले का नाम	नगरपरिषद / नगरनिगम / नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या	वर्गीकरण
1.	बाड़मेर	न.प. बाड़मेर	28	सामान्य महिला
2.	भरतपुर	न.पा. डीग	27	अनुसूचित जाति
		न.पा. नगर	8	अन्य पिछड़ा वर्ग
		न.पा. कुम्हेर	8	अनुसूचित जाति
3.	भीलवाड़ा	न.पा. गुलाबपुरा	6	सामान्य
4.	चित्तौड़गढ़	न.पा. बड़ी सादड़ी	3	सामान्य
5.	चुरू	न.पा. रतनगढ़	2	सामान्य
6.	हनुमानगढ़	न.पा. पीलीबंगा	17	अनुसूचित जाति
7.	कोटा	नगर निगम कोटा	60	सामान्य
8.	प्रतापगढ़	नगरपरिषद प्रतापगढ़	8	अन्य पिछड़ा वर्ग
9.	सिरोही	न.पा. पिण्डवाड़ा	2	अनुसूचित जनजाति
10.	श्रीगंगानगर	न.पा. सूरतगढ़	26	सामान्य महिला

नगरपालिका उप चुनाव का कार्यक्रम जून, 2013

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	24.05.2013 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.05.2013 (मंगलवार) (प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	29.05.2013 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	31.05.2013 (शुक्रवार) (अपरान्ह 3.00 बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	01.06.2013 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो)	07.06.2013 (शुक्रवार) (प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक)
7.	मतगणना	10.06.2013 (सोमवार) (प्रातः 8 बजे से)

D:\Sanjay\GOPI'S DATA\NP\F4(2)(4) NP SEC 13_bye-election June. 13.doc
6

पंचायतीराज संस्थाओं की दिनांक 31.03.2013 तक विद्यमान रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं	जिला	प्रमुख / उप प्रमुख	जि.प नि.क्षे संख्या	पंचायत समिति सदस्य			सरपंच		उप सरपंचो की संख्या	वार्ड पंचो की संख्या
				प्रधान / उप प्रधान	प.स. का नाम	नि. क्षे. संख्या	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AJMER				भीनमर	11	पीसांगन	फगारा	2	8
							पीसांगन	भवानीखेड़ा		
2	ALWAR									14
3	BANSWARA				गढ़ी	16	गढ़ी	मेतवाला	2	7
							घाटोल	पड़ौली राठौड़		
							बागीदौरा	मोटी टिम्बी		
4	BARAN									4
5	BARMER				बालोतरा	27	बाड़मेर	सिणानी	1	13
					धोरीमन्ना	14	धोरीमन्ना	बोर चारणान		
6	BHARATPUR				सेवर	12	डीग	कुचावटी	1	8
							कामा	सतवाड़ी		
							कुम्हेर	अजान		
7	BHILWARA		24						1	10
8	BIKANER				बीकानेर	7			1	9
					नोखा	24				
					नोखा	29				
9	BUNDI									3
10	CHITTORGARH									4
11	CHURU									9
12	DAUSA						सिकराय	मीजगढ़		12
13	DHOLPUR									8
14	DUNGARPUR				डूंगरपुर	12	आसपुर	बनकोड़ा		8
15	HANUMANGARH								1	6
16	JAIPUR				बस्सी	19	दूदू	सेवा	1	13
17	JAISALMER				सम	6			1	4
18	JALORE				सांचोर	19				7
19	JHALAWAR									3
20	JHUNJHUNU						बुहाना	बुहाना	1	10
							सूरजगढ़	बेरला		
							चिड़ावा	केहरपुरा कलां		
21	JODHPUR		15		बालेसर	15	बालेसर	केतुकला		8
							बालेसर	गोपालसर		
22	KARUALI			उपप्रधान	सपोटरा	22	करौली	मासलपुर		6
							हिण्डौन	खेड़ा		
							टोडाभीम	भंडारी अंदरूणी		
23	KOTA				इटावा	14			2	4
24	NAGAUR								2	16
25	PALI								4	24
26	PRATAAPGARH						अरनोद	दलोट	1	2
27	RAJASMAND						कुम्भलगढ़	सूंखार		4
28	SAWAIMADHOPUR		24		गंगापुर	15				4
29	SIKAR				नीमकाथाना	33	श्रीमाधोपुर	फूटाला	1	12
30	SIROHI									6
31	SRI GANGANAGAR				~~श्रीगंगानगर~~ सादुलशहर	13				8
32	TONK						टोंक	पालडा	1	11
33	UDAIPUR				मावली	18	कोटडा	डांग	1	13
	Total		3	1 उपप्रधान		19		26	24	278

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए/रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु उप–चुनाव का कार्यक्रम–
जून, 2013

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव:

1.	नियम 58 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना	दि. 24.05.2013 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दि. 28.05.2013 (मंगलवार) (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	दि. 29.05.2013 (बुधवार) (पूर्वान्ह 10 बजे से)
4	नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने की अंतिम तारीख	दि. 30.05.2013 (गुरूवार) (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	दि. 30.05.2013 (गुरूवार) (अपरान्ह 3 बजे बाद)
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दि. 7.06.2013 (शुक्रवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक
8.	मतों की गणना	10.06.2013 (सोमवार) (प्रात. 8 बजे से) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर
9.	प्रधान/उप प्रधान का चुनाव	11.06.2013 (मंगलवार)

पंच/सरपंचों के लिए उपचुनाव

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56 व 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 24.05.2013 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 03.06.2013 (सोमवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशनों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशनों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापिसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दि. 07.06.2013 (शुक्रवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतों की गणना	07.06.2013 (शुक्रवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात)
6.	उप सरपंच का उप–चुनाव	08.06.2013 (शनिवार)

D:\Panchayat\Bye Election JUNE. 2013\letters JUNE.,13.doc
7